न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 33/2022

1– गुलाम हुसैन पिता इब्राहिम मुसलमान मृतक के बजाय :–
1/1– हनिफा पत्नि गुलाम हुसैन मुसलमान निवासी नयागांव तह0बेगूँ
1/2– अनवर पिता गुलाम हुसैन मुसलमान निवासी नयागांव तह0बेगूँ
1/3– जैनूथ्ल पिता गुलाम हुसैन मुसलमान निवासी नयागांव तह0बेगूँ
1/4– अकबर पिता गुलाम हुसैन मुसलमान निवासी नयागांव तह0बेगूँ
1/5– जरीना पिता गुलाम हुसैन मुसलमान निवासी नयागांव तह0बेगूँ .....प्रार्थीगण

बनाम

1– परवीन बानो पत्नि शाहिद हुसैन (मंसूरी) मुसलमान नि. बडीमस्जिद के पास बेगूँ
2– शाहिद हुसैन पिता इकबाल मुसलमान निवासी बडीमस्जिद के पास बेगूँ
3– इनायत हुसैन पिता इकबाल मुसलमान निवासी बडीमस्जिद के पास बेगूँ .....विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री भोलेश भट्ट
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक :–24.12.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र अ0धा0 88–188–92ए आर.टी.एक्ट का न्यायालय मे प्रस्तुत किया है किन्तु उसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

यह कि प्रार्थी के संयुक्त परिवावर की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम नयागांव पटवार हल्का चेंची में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 381/363 रकबा 1.2620 हैक्टर जमाबंदी संवत 2078 की खतौनी संख्या 21 में खातेदार गुलाम हुसैन पुत्र इब्राहिम हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान साकिन बेगूँ परवीन बानू पत्नि शाहीद हुसैन मंसूरी हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान साकिन बेगूँ के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात के सम्पूर्ण रकबा पर प्रार्थी अकेला काबिज होकर काश्त कर रहा है प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थी ने अपने पिता के नाम से आंवटन करवायी थी तथा उक्त भूमि को प्रार्थी अकेले ने ही काबिज काश्त बनवायी तथा भूमि पर होने वाला समस्त व्यय प्रार्थी अकेले ने ही किया था लेकिन प्रार्थी के पिता की मृत्युपरान्त प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई के नाम दर्ज हो गयी थी व भाई की मृत्युपरान्त उसके विधिक वारिसान के भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हो गयी लेकिन कब्जा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अकेले का निरन्तर चला आ रहा है एवं आज भी प्रार्थी अकेला ही काबिज हो काश्त कर रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी के भाई के वारिसान के नाम दर्ज होने से उन्होने उसका अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विपक्षी संख्या एक अजनबी व्यक्ति को उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि का 1/2 हक हिस्सा जरिये नुमाईशी पंजीकृत विकय पत्र से विकय कर दिया जिस कारण सभी विपक्षीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि पर जबरन कब्जा करने की गरज से दिनांक 23.06.2022 को हम सलाह होकर हाथो में हथियार लेकर उक्त प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर बोयी हुयी फसल को नष्ट करने के उद्देश्य से आये और जबरन प्रार्थी के परिवार के साथ मारपीट की एवं कहा कि भूमि का 1/2 हिस्सा हमने कय कर लिया है जो उक्त भूमि पर कब्जा करेगें एवं तुम्हारे द्वारा बोयी हुई फसल को नष्ट करेंगें एवं प्रार्थी को धमकी दी कि प्रार्थना पत्र वर्णित समस्त भूमि पर कब्जा करेगें एवं तुमने रोकने का प्रयास किया तो जान से खत्म कर देगें। इस प्रकार विपक्षीगण ताकत के बल पर प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि से प्रार्थी का कब्जा छीनना चाहते है जिसका की विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थी के भाई के वारिसान के नाम दर्ज रिकोर्ड थी प्रार्थी के भाई के वारिसान ने भूमि में दर्ज 1/2 हिस्सा एक नुमाईशी विकय पत्र के माध्यम से विपक्षी संख्या एक को विकय कर दिया जो प्रार्थी के लिए अजनबी व्यक्ति है जिसको कब्जे के अभाव में एवं बिना विभाजन के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रवेश कर कब्जा करने का अधिकार नहीं है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को प्रार्थी अकेले ने ही काबिल काश्त बनायी है तथा प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर विगत 30–35वर्षो से निर्बाध रूप से निरन्तर कब्जा होकर प्रार्थी अकेला ही प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा है इसलिए कानूनन 12 वर्षो से अधिक कब्जा होने पर प्रार्थी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिए यदि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि से विपक्षीगण ने जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी से कब्जा प्राप्त लिया तो प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

हक अधिकर समाप्त हो जायेगे व प्रार्थी के द्वारा बोई हुई फसल नष्ट हो जायेगी एवं प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य अनावश्यक मुकद्मा बाजी बढ जायेगी। इस प्रकार प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना संभव नहीं है।

यह कि विपक्षीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो विपक्षीगण उक्त कृषि आराजीयात में प्रवेश कर कब्जा छीन लेगे तो प्रार्थी को अपूर्तनीय हानि होगी इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार का होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाय जावे कि जब तक कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन न हो जाये तब तक उक्त भूमि में विपक्षीगण कृषि आराजीयात में न तो स्वयं प्रवेश करे एवं न ही किसी परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से प्रवेश करे न ही प्रवेश करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जवाब में निवेदन इस प्रकार किया है:—

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थना पत्र झूंठे व गलत तथ्यो पर आधारित होने से शीघ्र ही खारिज होगा। यह कि चरण संख्या 2 का जवाब है कि वाद वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या एक के 1/2—1/2 हिस्से मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या एक के विक्रेता का प्रार्थी व उक्त विक्रेता की आपसी सहमति से कई वर्षो से मौखिक विभाजन हो काश्त कर रहे थे। विपक्षी संख्या 1 को विक्रेता ने अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का विक्रय किया तब से ही विपक्षी संख्या 3 अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर उक्त वाद वर्णित भूमि में मृतक मोहम्मद शरीफ का 1/2 हिस्सा बदस्तूर चला आ रहा है क्यो कि मोहम्मद शरीफ मृतक प्रार्थी गुलाम हुसैन दोनो सगें भाई होकर इब्राहिम के पुत्र है व विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का विक्रय मोहम्मद शरीफ के निधन हो जोन से उनके वैध वारिसान ने किया है। क्रय दिनांक से ही विपक्षी अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रही है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित नहीं है।

यह कि चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त विक्रय पत्र पूर्ण रूप से वैध होकर पंजीकृत विक्रय पत्र है। जिससे स्वयं प्रार्थी द्वारा आज तक सक्षम न्यायलय में चुनौती तक नहीं दी है शेष कथन भी गलत होकर अस्वीकार है विपक्षी संख्या 1 क्रय दिनांक 27.10.2021 से अपने हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अंकित तथाकथित दिनांक 23.06.2022 को कोई घटना घटित नहीं हुई है। प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 का जवाब है कि प्रार्थी के भाई मोहम्मद शरीफ के वारिसान ने पूर्ण वैद्य विक्रयपत्र निष्पादित किया है एवं वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 सहखातेदार है एवं कानून सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है उक्त भूमि पर कभी भी प्रार्थी का अकेले का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर मृतक मोहम्मद शरीफ एवं मृतक शरीफ की मृत्यु के उपरान्त इसके विधिक वारिसान का कब्जा काश्त था। कानूनन सहखतोदारी की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त भी लागू नहीं होता है प्रार्थी किसी प्रकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं हो रही है इसके विपरीत अगर विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है वे अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें। जिन्हें भारी अपूर्णनीय क्षति होगी।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 7 का जवाब है कि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि की खातेदारी काश्तकार होकर क्रय दिनांक से ही भूमि पर काबिज हो काश्त कर रही है। प्रार्थी ने गलत कथन अंकित किये है। विपक्षी अगर काश्त से रोका जाता है तो उन्हें भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। चरण संख्या 8 व कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी में जवाब विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र पर उपभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए वर्णित कृषि भूमि में 1/2 अधिकार होने से भूमि का विक्रय किया जाना बताया है, तथा निवेदन किया है कि सहखतोदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज के गुणावगुण के अनुसार दस्तावेज का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1— <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :—

प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा नयागांव प0ह0 चेची का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी संख्या 381/363 रकबा 7बीघा 16 बिस्वा भूमि के गैर खातेदार इब्राहिम पिता कासम शाह सा. बेगूँ दर्ज अंकित है तथा जमाबंदी में नोट अंकित है कि इ.नं. 104

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

तत से इब्राहिम के बजाय गुलाम हुसैन, मोहम्मद शरीफ पिता इब्राहिम मुसलमान के नाम भूमि गैर तेदारी हक से दर्ज की हुई हैं। नकल जमाबंदी सं. 2078 के अवलोकन से पाया कि वर्णित भूमि के खातेदार मोहम्मद शरीफ के वारिसान 1/16–16 प्रत्येक एवं गुलाम हुसैन पुत्र इब्राहिम 1/2 हक से दर्ज अंकित होकर भूमि खातेदारी की भूमि है। साथ ही नकल जमाबंदी खाता संख्या 21 में वर्णित भूमि मौजा नयागांव की आराजी संख्या 381/363 रकबा 1.2620 हैक्टर भूमि के खातेदार गुलाम हुसैन पुत्र इब्राहिम हिस्सा 1/2 एवं परवीन बानू पत्नि शाहिद हुसैन मंसूरी हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान खातेदार दर्ज अंकित है, यानि वर्णित भूमि का विक्रय मोहम्मद शरीफ के वारिसान द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय किये जाने से भूमि के अब खातेदार परवीन बानू 1/2 हिस्सा से दर्ज है, हालॉकि किसी भी खातेदार को अपने हक हिस्से का विक्रय किये जाने का पूर्ण अधिकार है, किन्तु वर्णित भूमि शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि थी तथा विपक्षीगण द्वारा भूमि का विक्रय एक बिना विभाजन ही एक अजनवी (स्ट्रेन्जर) को विक्रय किया जाकर अपने हिस्से का कब्जा सौप दिया है तथा वर्तमान में वह खातेदार है किन्तु वर्णित भूमि का विभाजन विधिवत नहीं हुआ है, इसलिए केता विपक्षी प्रार्थीगण के कब्जे हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें ना ही प्रार्थीगण केता खातेदार परवीन बानू के कब्जे हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे न करावें, दोनो ही खातेदार मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अपने अपने कब्जे काश्त की भूमि की यथास्थिती बनाये रखे ताकि मौके पर किसी प्रकार का विवाद न हो। इस प्रकार आंशिक रूप से यह प्राथमिक प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

2–सुविधा का संतुलन :–

प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वर्तमान में गुंलाम हुसैन व केता परवीन बानो के खातेदारी की भूमि होकर कब्जे काश्त की भूमि है, जहॉ तक पंजीकृत विक्रय के आधार पर केता का नाम दर्ज किया गया है तो विकेता के कब्जे काश्त की भूमि में कब्जा सौपते हुए दर्ज किया गया है, यानि दोनो ही पक्ष अपने अपने कब्जे व हिस्से पर मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कब्जे काश्त की यथास्थिती कायम रखे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3– अपूर्णनीय क्षति :–

वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या एक है, विपक्षी संख्या एक परवीन बानो द्वारा यह भूमि जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की थी तथा अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया है तथा कब्जा विकेता के हक हिस्से का प्राप्त किया है, यदि विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो केता खातेदार विपक्षी सं0 1 को आर्थिक क्षति होती है, साथ ही अविभाजित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे में दखलंदाजी यदि केता खातेदार विपक्षी सं0 1 द्वारा किया जाता है तो प्रार्थीगण को भी निश्चित ही आर्थिक क्षति होती है। इस प्रकार मूल वाद के अंतिम निस्तारण दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे ताकि किसी भी पक्ष को आर्थिक नुकसान न हो।

इस प्रकार सभी दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर हम उचित समझते है कि दोनो ही पक्ष वर्णित भूमि में कब्जे काश्त की मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिती कायम रखें ताकि किसी प्रकार का विवाद नही हो।

अतः प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा मौजा नयागॉव प0ह0 चेची की आराजी संख्या 381/363 रकबा 1.2620 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं विपक्षी संख्या एक के कब्जे काश्त की दोनो ही पक्ष मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिती को कायम रखें एवं किसी प्रकार का विवाद मौके पर नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

आदेश आज दिनांक 24.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूॅ